उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-104/2017/5281/92-1-2017-95आरईएस/2006
लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री ब्रजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को उनके आसन्न कनिष्ठ की अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 19-12-2016 से अधीक्षण अभियंता (वेतनमान रू0-37400-67000, ग्रेड पे-8700/-, वेतन बैण्ड-4, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- चूँकि श्री ब्रजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर नोशनल पदोन्नति की तिथि से वास्तविक पदोन्नति की तिथि के मध्य अधीक्षण अभियंता के पद का कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, अत: 'कार्य नहीं, तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर उक्त अवधि में अधीक्षण अभियंता पद का वेतन अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु नोशनल पदोन्नति की तिथि से वास्तविक पदोन्नति की तिथि की अवधि में वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होगा।

3- श्री ब्रजेन्द्र कुमार को अनुमन्य वेतन/महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

4- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-45(एसबी)/2017 योगेन्द्र नारायण चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

5- अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री ब्रजेन्द्र कुमार कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

6- अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-104/2017/5281(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- कम्प्यूटर अंकन प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in